

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
अयोध्या।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक 04 अक्टूबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।
महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-05/2022/आरएफ215/नौ-9-2021-128आरएफ/19, दिनांक-06.01.2022 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित 23 कार्यों हेतु इण्टरलाकिंग रोड, सी0सी0 रोड एवं हाट मिक्स रोड के निर्माण कार्य हेतु नगर निगम, अयोध्या को रू0 926.86 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 46.34 लाख अवमुक्त की गयी है तथा शासनादेश संख्या-93/2022/आरएफ153/001-33आरएफ/19, दिनांक-29.04.2022 के माध्यम से द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 417.09 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 463.43 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-06.01.2022 के माध्यम से स्वीकृत कुल 23 कार्यों में से 04 कार्य लागत रू0 135.44 लाख निरस्त कर दिये गये हैं, जिनकी धनराशि का समायोजन कर अवशेष धनराशि रू0 327.99 लाख निर्गत किये जाने की संस्तुति नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या द्वारा पत्र दिनांक-25.09.2023 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है।

2. उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष, कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या को तृतीय किश्त की अवशेष धनराशि (463.43-135.44 लाख) अर्थात् रू0 327.99 लाख (रू0 तीन करोड़ सत्ताइस लाख निन्यानबे हजार मात्र) अनुदान संख्या-37, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, नगर निगम मद के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02मल जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-05-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश /ऋण" के नामे डाला जायेगा।
2. संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2024 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. शासनादेश संख्या-05/2022/आरएफ215/नौ-9-2021-128आरएफ/19, दिनांक-06.01.2022 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5. उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि नगर आयुक्त प्रथम/द्वितीय किशत की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेंगे, तभी तृतीय/अन्तिम किशत की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही द्वितीय किशत की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक-19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,27,99,000 (रुपये तीन करोड़ सताईस लाख निन्यानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021910500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 चांसिफ)

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 43/2023/RF67/1022-E-1700470, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
5. कोषाधिकारी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, 30प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।
9. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

भाजा से,

(मो0 चांसिफ)

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-04/10/2023

प्रेषण संख्या:- 43
आवंटन आदेश संख्या:- 001-43-2023-RF671-022-E-1700470
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	32799000 32799000	32799000 32799000
	योग	वर्तमान प्रगामी	32799000 32799000	32799000 32799000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ सत्ताइस लाख निन्यानवे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ सत्ताइस लाख निन्यानवे हजार


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव